न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः– 75/2021 **(जी सी एम एस नम्बर 2021/128)**

उनवान प्रकरण :–

1–द्रोपती पत्नी स्व0 चुन्नी । जातिगण गौड निवासीगण ग्राम सहरौली
2–बनवारीलाल पुत्र स्व0 चुन्नी ।
3–जितेन्द्र पुत्र स्व0 चुन्नी । तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
4–लक्ष्मी पुत्री स्व0 चुन्नी पत्नी मिथलेश जाति गोड निवासी ग्राम सहरौली तहसील सैपऊ हाल निवासी ग्राम इकहेरा तहसील व जिला ग्वालियर म.प्र.
5–मधु पुत्री स्व0 चुन्नी पत्नी महेश जाति गोड निवासी ग्राम सहरौली तहसील सैपऊ हाल निवासी पृथ्वीपुरा तहसील किरावली जिला आगरा उ0प्र0
6–शिवम पुत्र शशी व कमलेश जाति गोड निवासी ग्राम इकहेरा तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0
7–कृष्णा पुत्र शशी व कमलेश । नावालिगान सरपरस्ती पिता कमलेश जातिगण
8–छाया पुत्री शशी व कमलेश । गौड निवासीगण इकहेरा तह0 व जिला ग्वालियर

.............................**प्रार्थीगण**

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर

बनाम

1–गनपति पुत्र विहारी । जातिगण गौड निवासीगण ग्राम सहरौली तहसील
2–कैलाशी पुत्र नानिका । सैपऊ जिला धौलपुर
3–रामरती बेवा अनारसिंह जाति गौड निवासी ग्राम सहरौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर " विलुप्त "
4–अनेकसिंह पुत्र अनारसिंह पत्नी राजेन्द्र जाति गौड निवासी ग्राम सहरौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
5–ममता पुत्री अनारसिंह पत्नी राजेन्द्र जाति गौड निवासी ग्राम सहरौली तहसील सैपऊ हाल निवासी ग्राम खिडोंरा तह0 बसेडी जिला धौलपुर
6–बन्टी पुत्र होतम जाति गौड निवासी ग्राम सहरौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
7–लालो पुत्री होतम पत्नी संतोष जाति गौड निवासी ग्राम सहरौली तहसील सैपऊ हाल निवासी ग्राम सिगना का नगला तहसील बसेडी जिला धौलपुर
8–रामबेटी पुत्री नानिका पत्नी पीतम जाति गौड निवासी ग्राम सहरौली तहसील सैपऊ हाल निवासी नयागांव जगनेर तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0
9–मनीष माता स्व. लोंगश्री व पिता तुलाराम जाति गौड निवासी ग्राम करीमपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
10–आशा पुत्री तुलाराम पत्नी हरनाम सिंह जाति गौड निवासी ग्राम करीमपुर तहसील सैपऊ हाल निवासी स्वामी का नगला तहसील बाडी जिला धौलपुर
11–मनीषा पुत्री तुलाराम पत्नी पप्पी गौड निवासी ग्राम करीमपुर तहसील सैपऊ हाल निवासी ग्राम खिडोरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर
12–रेखादेवी पुत्री प्रयागदेवी व रामजीलाल जाति गौड नि0 ग्राम सहरौली तह0 सैपऊ

जिला कलक्टर
धौलपुर

न्या0.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुकः द्रोपती बनाम गनपति वगैरा
रैफरेन्स प्रकरण संख्या 75/2021

13–अनिल पुत्र रामजीलाल । समस्त जातिगण गौडा
14–पप्पी पुत्र रामजीलाल ।
15–बब्ली पुत्री रामजीलाल । निवासीगण भामतीपुरा धौलपुर
16–टिंकू पुत्र रामजीलाल ।
17–तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर...**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट सपठित धारा 232 आर.टी.ए. व धारा 9 एल.आर.ए.

उपस्थिति अभिभाषकगण :–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी सं01 की ओर से – श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे
अप्रार्थी सं017 की ओर से – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 28.02.2025**

प्रार्थी द्वारा यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 931, 932, 933, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 946, 950 वांके ग्राम सहरौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में 2/3 भाग के अभिलिखित खातेदार कास्तकार भूरा व नानिका पिसरान लालचन्द वहिस्सा बराबर भाग यानि उक्त प्रत्येक 1/3–1/3 भाग तथा गनपति पुत्र विहारी 1/6 भाग तथा चुन्नी पुत्र विहारी 1/6 भाग के अभिलिखित खातेदार कास्तकार थे जिनमें से भूरा, ननिका व चुन्नी का निधन हो चुका है। प्रार्थीगण चुन्नी के वारिस उत्तराधिकारी एवं कायम मुकाम है तथा नानिका के वारिस एवं उत्तराधिकारी अप्रार्थी सं 02 लगायत 11 है तथा भूरा के वारिस अप्रार्थी सं. 12 लगायत 16 है। उपरोक्त विवादित कृषि भूमि के सम्बध में भूरा पुत्र लालचंद ने न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर के समक्ष एक बाद अन्तर्गत धारा 88,188,53 आरटीए प्रस्तुत किया था जो दिनांक 02.09.1976 को इकवाल दावा के आधार पर प्रारम्भिक रूप से निर्णय किया था जिसमें वादी भूरा 1/3 भाग का तथा प्रतिवादी ननिका 1/3 भाग तथा प्रतिवादी सं. 02 व 03 गनपति व चुन्नी को सामूहिक रूप से 1/3 भाग यानि प्रत्येक 1/6 – 1/6 भाग का खातेदार उदघोषित किया था तथा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर ने By meets And Bounds बटवारा

जिला कलक्टर
धौलपुर

कराये जाने व तदनुसार कब्जा कराये जाने का आदेश तहसीलदार को जारी किया था तथा डिक्री प्रथक से जारी करने के आदेश दिये थे तथा पत्रावली मात्र प्रारम्भिक निर्णय के पश्चात अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी किये बिना दाखिल दफ्तर भूलवस कर दी थी। उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक निर्णय दिनांक 02.09.1976 की आज तक डिक्री नही बनायी गयी है तथा न ही तहसीलदार धौलपुर ने बटवारे के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुये विभाजन प्रस्ताव व प्रस्तावित रंगीन नक्शा पक्षकारों को विधिवत सूचना देकर तैयार किया तथा ना ही तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव उक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये तथा ना ही न्यायालय में विभाजन प्रस्तावों पर पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार ने अपने अधिकारों के विपरीत जाकर विवादित कृषि भूमि का अवैध रूप से न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.09.1976 की आड में नामान्तकरण सं. 185 दिनांक 26.06.1980 अवैध रूप से समयावधि व्यतीत होने के बाद पारित कर दिया जिसके तहत प्रार्थीगण के पिता चुन्नी को अवैध रूप से 03 बीघा 03 बिस्वा क्षेत्रफल देने की बजाय 02 बीघा 16 बिस्वा क्षेत्रफल प्रदान किया तथा भूरा पुत्र लालचंद को 06 बीघा 06 बिस्वा क्षेत्रफल की बजाय 06 बीघा 13 बिस्वा क्षेत्रफल तथा नानिका को 06 बीघा 06 बिस्वा क्षेत्रफल की बजाय 04 बीघा 01 बिस्वा क्षेत्रफल तथा अप्रार्थी गनपति को 03 बीघा 03 बिस्वा क्षेत्रफल की बजाय 05 बीघा 09 बिस्वा क्षेत्रफल अवैध रूप से प्रदान कर दिया गया। प्रारम्भिक निर्णय दिनांक 02.09.1976 की पालना हेतु परवाना दिनांक 25.05.1977 को न्यायालय द्वारा जारी किया गया था जिसकी पालना करने से पूर्व तहसीलदार ने ना तो प्रार्थीगण के पिता को विभाजन से पूर्व किसी प्रकार की वैध सूचना दी तथा ना ही नामान्तकरण सं. 185 पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वज चुन्नी को सूचना दी ना ही सुनवाई व जाबवदेही का मौका दिया। तहसीलदार ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विपरीत अवैधरूप से नामान्तकरण सं.185 वांके ग्राम सहरौली पारित कर दिया तथा विभाजन भी अवैध रूप से नियम 18 से 21 की पालना को सुनिश्चित किये बिना पारित कर दिया तथा नामान्तकरण सं. 185 को दिनांक 26.06.1980 को भी विहित समयावधि व्यतीत होने के बाद अवैधरूप से पारित किया था। उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदर बटवारा मात्र सहमती के आधार पर या विहित प्रकिया के अनुरूप में ही कर सकता है तथा नामान्तकरण भी विहित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही पारित कर सकता है। इस लिये इस प्रकरण में तहसीलदार धौलपुर द्वारा बटवारे हेतु पारित नामान्तकरण सं. 185 तारीखी 26.06.1980 यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण उक्त आराजी में 1/6 भाग के अधिकारी खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त हिस्सानुसार काबिज है। अप्रार्थी सं. 01 तथा 12 लगायत 16 अर्सा करीब 01 माह पूर्व विवादित आराजी पर आये तथा प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी तब प्रार्थीगण ने विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करवाया तब अवलोकन से प्रार्थीगण को सर्वप्रथम अप्रार्थी सं. 01 तथा 12 लगायत 16 के पूर्वज भूरा तथा अप्रार्थी सं. 17 तहसीलदार धौलपुर

जिला कलक्टर
धौलपुर

द्वारा किये गये उक्त अवैध कृत्य बटवारे के नामान्तकरण सं. 185 की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा प्रार्थीगण उक्त अवैध कृत्य के विरूद्व अविलम्ब कार्यवाही कर रहे है। प्रार्थीगण मजदूर पेशा व्यक्ति है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिये मुम्बई महाराष्ट में अधिकांश निवास करते है तथा फैमली की देखभाल के लिए समय–समय पर ही आ पाते है इसलिए भी प्रार्थीगण को अवैध कृत्यों की जानकारी पूर्व में नही हो पायी थी तथा जिसमें प्रार्थीगण की किसी भी प्रकार की गफलत एवं लापरवाही नही है। उपरोक्त परिस्थिति में अप्रार्थी सं. 01 व 12 लगायत 16 तथा अप्रार्थी सं. 17 द्वारा किये गये उक्त अवैध बटवारा नामान्तकरण सं. 185 के विरूद्व न्यायालय श्रीमान द्वारा समुचित आदेश हेतु रेफरेस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना तथा प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को रैफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। बटवारा नामान्तकरण सं. 185 तारीखी 26.06.1980 तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिये गये आदेश के भी विरूद्व पारित किया गया है तथा तहसीलदार न्यायालय श्रीमान के अधीनस्थ है इसलिए इस प्रकरण में उनके द्वारा किये गये अवैध कृत्य के विरूद्व प्रकरण समुचित आदेशार्थ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर रैफर किया जाना न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा प्रकरण समाअत करने का न्यायालय श्रीमान को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर बटवारे नामान्तकरण संख्या 185 दिनांक 26.06. 1980 ग्राम सहरौली के सम्बध में समुचित आदेश हेतु पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्बत 2037 से 2040 नामान्तकरण संख्या 189 ग्राम सहरौली, मिसिल बन्दोवस्त खाता संख्या 215 ग्राम सहरौली, नकल जमाबन्दी सम्बत 2028–36 खाता संख्या 156 ग्राम सहरौली, नकल जमाबन्दी सम्बत 2037 से 40 खाता संख्या 145 ग्राम सहरौली, नकल जमाबन्दी सम्बत 2037 से 40 खाता संख्या–91 ग्राम सहरौली, नकल जमाबन्दी सम्बत 2074 से 77 खाता संख्या 12,39,40,65,195,66 ग्राम सहरौली, नकल प्रमाणित प्रति वाद पत्र भूरा बनाम ननिका प्र0सं0 82/76 न्यायालय ए.डी.एम. धौलपुर निर्णय दिनांक 2.9.1976 मय जबाव दावा व आदेशिका पेश किये है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–2 लगा0 16 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये। अप्रार्थी संख्या–17 पैरोकार सरकार उपस्थित हुये उनकी ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट ने बकालतनामा पेश कर जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि उक्त रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के मन में बदनीयती दुर्भावना पूर्वक उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने की नीयत से असत्य तथ्यों के आधार पर अवैध रूप से प्रस्तुत किया है। रैफरेन्स प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर
धौलपुर

प्रार्थीगण द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत 82 एलआरएक्ट एवं 232 आरटीएक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा कतई स्पष्ट नहीं किया है कि डिकी के विरूद्व क्या आक्षेप है और उपरोक्त निर्णय व डिकी किस प्रकार अवैध है तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में क्या त्रृटि है। प्रार्थीगण द्वारा महज अपने आपको मियाद अधिनियमों के प्रावधानों से बचने के उद्वेश्य से तहत रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काविल खारिजी के हैं। नामान्तकरण आदेश तत्कालीन खातेदारों की पूर्ण सहमति से विधिवत रूप से पारित किया है जिसको प्रार्थीगण के पूर्वज चुन्नी द्वारा किसी प्रकार आक्षेपित नहीं किया है। चुन्नी की सहमति के उपरान्त उसके वारिसान कार्यवाही करने से पाबन्द है। रैफरेंस प्रार्थना पत्र के माध्यम से भिन्न–भिन्न आदेशों को चुनोती दी गई है जो कानून गलत है। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से भिन्न भिन्न आदेशों को चुनोती नहीं दी जा सकती है। नियमानुसार जहां कोई विवाद निजी पक्षकारों के मध्य है और राज्य सरकार का कोई हित नहीं है तो रैफरेंस प्रार्थना पत्र नहीं होता है। रैफरेंस की कार्यवाही संक्षप्ति कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकार का कोई हित तय नही हो सकते है। कानूनन पक्षकारों को अपने अधिकारों के बावत वाद दायर करना चाहिए यदि वह वैधहित रखते है तो किसी रैफरेंस या अपील की समरी कार्यवाही के अन्तर्गत किसी प्रकार के हित तय नहीं किये जा सकते है तथा वैसे भी रैफरेंस अति विलम्ब के साथ प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण का रैफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी में 2/3 भाग के खातेदार कास्तकार भूरा व नानिका पिसरान लालचन्द वहिस्सा बराबर भाग यानि उक्त प्रत्येक 1/3–1/3 भाग तथा गनपति पुत्र विहारी 1/6 भाग तथा चुन्नी पुत्र विहारी 1/6 भाग के अभिलिखित खातेदार कास्तकार थे। उपरोक्त विवादित कृषि भूमि के सम्बध में भूरा पुत्र लालचंद ने न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर के समक्ष एक बाद अन्तर्गत धारा 88,188,53 आरटीए प्रस्तुत किया था जो दिनांक 02.09.1976 को इकवाल दावा के आधार पर प्रारम्भिक रूप से निर्णय किया था जिसमें वादी भूरा 1/3 भाग का तथा प्रतिवादी ननिका 1/3 भाग तथा प्रतिवादी सं. 02 व 03 गनपति व चुन्नी को सामूहिक रूप से 1/3 भाग यानि प्रत्येक 1/6 – 1/6 भाग का खातेदार उदघोषित किया था तथा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर ने By meets And Bounds बटवारा कराये जाने व तदनुसार कब्जा कराये जाने का आदेश तहसीलदार को जारी किया था तथा डिक्री प्रथक से जारी करने के आदेश दिये थे तथा पत्रावली मात्र प्रारम्भिक निर्णय के पश्चात अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी किये बिना दाखिल दफ्तर भूलवस कर दी थी। उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक निर्णय दिनांक 02.09.1976 की आज तक डिक्री नही बनायी गयी है तथा न ही तहसीलदार धौलपुर ने बटवारे

जिला कलक्टर
धौलपुर

के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुये विभाजन प्रस्ताव व प्रस्तावित रंगीन नक्शा पक्षकारों को विधिवत सूचना देकर तैयार किया तथा ना ही तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव उक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये तथा ना ही न्यायालय में विभाजन प्रस्तावों पर पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार ने अपने अधिकारों के विपरीत जाकर विवादित कृषि भूमि का अवैध रूप से न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.09.1976 की आड में नामान्तकरण सं. 185 दिनांक 26.06.1980 अवैध रूप से समयावधि व्यतीत होने के बाद पारित कर दिया जिसके तहत प्रार्थीगण के पिता चुन्नी को अवैध रूप से 03 बीघा 03 बिस्वा क्षेत्रफल देने की बजाय 02 बीघा 16 बिस्वा क्षेत्रफल प्रदान किया तथा भूरा पुत्र लालचंद को 06 बीघा 06 बिस्वा क्षेत्रफल की बजाय 06 बीघा 13 बिस्वा क्षेत्रफल तथा नानिका को 06 बीघा 06 बिस्वा क्षेत्रफल की बजाय 04 बीघा 01 बिस्वा क्षेत्रफल तथा अप्रार्थी गनपति को 03 बीघा 03 बिस्वा क्षेत्रफल की बजाय 05 बीघा 09 बिस्वा क्षेत्रफल अवैध रूप से प्रदान कर दिया गया। प्रारम्भिक निर्णय दिनांक 02.09.1976 की पालना हेतु परवाना दिनांक 25.05.1977 को न्यायालय द्वारा जारी किया गया था जिसकी पालना करने से पूर्व तहसीलदार ने ना तो प्रार्थीगण के पिता को विभाजन से पूर्व किसी प्रकार की वैध सूचना दी तथा ना ही नामान्तकरण सं. 185 पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वज चुन्नी को सूचना दी ना ही सुनवाई व जाबवदेही का मौका दिया। तहसीलदार ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विपरीत अवैधरूप से नामान्तकरण सं.185 वांके ग्राम सहरौली पारित किया है। उक्त अवैध बटवारे नामान्तकरण संख्या 185 दिनांक 26.06.1980 ग्राम सहरौली के सम्बध में समुचित आदेश हेतु पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रतिप्रेषित की जावे। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आरआरटी 2010(2) पेज 1242, आरआरटी 2013(1) पेज 267, आरआरटी 2024(1)पेज 159, आरबीजे 2024 पेज 31, धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रेवेन्यू) अधि0 1956, धारा 232 आरटीए.न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थीगण द्वारा 82 एलआरएक्ट एवं 232 आरटीएक्ट एवं धारा 9 एलआरएक्ट के तहत विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नई धारा 9 एलआरएक्ट के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व मण्डल को ना कि न्यायालय श्रीमान को जब अपील या निगरानी के प्रावधान उपलब्ध होते है तो धारा 9 एवं 82 एलआरएक्ट के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत रैफरेंस को प्रार्थीगण द्वारा अपील न कर मियाद के प्रावधानों से बचने के उद्वेश्य से विधि विरूद्व तरीके से प्रस्तुत किया है। नामान्तकरण संख्या 185 अतिरिक्त जिलाधीश के आदेश की पालना में भरा जाकर स्वीकार किया है जिसके विरूद्व रैफरेंस सुनने का अधिकार न्यायालय श्रीमान जिला

जिला कलक्टर
धौलपुर

कलक्टर को ना होकर श्रीमान संभागीय आयुक्त को है। नामान्तकरण संख्या 185 तारीख 26.06.1980 को स्वीकृत किया गया तथा जिसको अपने जीवन काल में कभी भी प्रार्थीगण के पूर्वज चुन्नी द्वारा आक्षेपित नहीं किया क्योंकि उपरोक्त आदेश चुन्नी की सहमति से पारित किया गया था। वैसे भी विधि का यह सुस्थापित नियम है कि किसी आक्षेपित आदेश को व्यथित पक्षकार द्वारा चैलेंज नहीं किया गया है तो उसके वारिसान को चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। विधि अनुसार रैफरेंस वहां प्रस्तुत किया जाना है जहां राज्य सरकार का कोई हित निहित हो जहां राज्य सरकार का हित निहित नहीं हो वहां साधारणतया रैफरेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जब दो पक्षकारों के मध्य विवाद हो तो वहां रैफरेंस नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी खातेदार का रैफरेंस के माध्यम से रिमूव ही किया जा सकता है। धारा 82 एलआरएक्ट एवं 232 आरटीएक्ट की कार्यवाही एक साथ नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत रैफरेंस करीब 42 वर्ष बाद काफी बिलम्ब से प्रस्तुत किया है जिसकी किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 378, आरआरटी 2012 पेज 412, आरआरटी 2016 पेज 130, आरआरडी 2007 पेज 66, आरआरडी 1996 पेज 170, आरआरडी 2010 पेज 500, आरआरडी 2010 पेज 260 न्यायिक दृष्टान्त पेश कर प्राथीगण का प्रार्थना पत्र रैफरेंस खारिज फरमाया जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 931, 932, 933, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 946, 950 कुल रकवा 18 वीधा 19 विस्वा वांके ग्राम सहरौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में 2/3 भाग के खातेदार कास्तकार भूरा व नानिका पिसरान लालचन्द वहिस्सा बराबर भाग यानि उक्त प्रत्येक 1/3–1/3 भाग तथा गनपति पुत्र विहारी 1/6 भाग तथा चुन्नी पुत्र विहारी 1/6 भाग के अभिलिखित खातेदार कास्तकार थे। उपरोक्त विवादित कृषि भूमि के सम्बध में भूरा पुत्र लालचंद ने न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर के समक्ष एक बाद अन्तर्गत धारा 88,188,53 आरटीए प्रस्तुत किया था जो दिनांक 02.09.1976 को इकवाल दावा के आधार पर प्रारम्भिक रूप से निर्णय किया गया जिसमें वादी भूरा 1/3 भाग का तथा प्रतिवादी ननिका 1/3 भाग तथा प्रतिवादी सं. 02 व 03 गनपति व चुन्नी को सामूहिक रूप से 1/3 भाग यानि प्रत्येक 1/6 – 1/6 भाग का खातेदार उदघोषित किया गया तथा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर ने By meets And Bounds बटवारा कराये जाने व तदनुसार कब्जा कराये जाने का आदेश तहसीलदार को जारी किया गया तथा डिक्री प्रथक से जारी करने के आदेश दिये गये थे तथा पत्रावली मात्र प्रारम्भिक निर्णय के पश्चात अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी किये बिना दाखिल दफ्तर कर दी गई। उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक निर्णय दिनांक 02.09.1976 की आज तक डिक्री नही बनायी

जिला कलक्टर
धौलपुर

गयी है तथा न ही तहसीलदार धौलपुर ने बटवारे के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुये विभाजन प्रस्ताव विधिवत सूचना देकर तैयार किया तथा ना ही तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव उक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये तथा ना ही न्यायालय में विभाजन प्रस्तावों पर पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार ने अपने अधिकारों के विपरीत जाकर विवादित कृषि भूमि का अवैध रूप से न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.09.1976 की आड में नामान्तकरण सं. 185 दिनांक 26.06.1980 अवैध रूप से समयावधि व्यतीत होने के बाद पारित किया है जिसके तहत प्रार्थीगण के पिता चुन्नी को अवैध रूप से 03 बीघा 03 बिस्वा क्षेत्रफल देने की बजाय 02 बीघा 16 बिस्वा क्षेत्रफल प्रदान किया तथा भूरा पुत्र लालचंद को 06 बीघा 06 बिस्वा क्षेत्रफल की बजाय 06 बीघा 13 बिस्वा क्षेत्रफल तथा नानिका को 06 बीघा 06 बिस्वा क्षेत्रफल की बजाय 04 बीघा 01 बिस्वा क्षेत्रफल तथा अप्रार्थी गनपति को 03 बीघा 03 बिस्वा क्षेत्रफल की बजाय 05 बीघा 09 बिस्वा क्षेत्रफल अवैध रूप से प्रदान कर दिया गया। तहसीलदार ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विपरीत अवैधरूप से नामान्तकरण सं.185 वांके ग्राम सहरौली पारित किया है जिसे हमारी राय में रैफरेंस के माध्यम से निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना एवं प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बटवारे नामान्तकरण संख्या 185 दिनांक 26.06.1980 वांके ग्राम सहरौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के निरस्ती हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं । दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 01.04.2025 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उपस्थित होवे।

आदेश आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर